क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नामः जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम(JSSK)

बजट/एफ०एम०आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): रेफरल ट्रॉन्सपोर्ट

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): A.1.7.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणः

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम(JSSK) के तहत गर्भवती महिलाओं तथा जन्म से 30 दिनों के भीतर तक बीमार नवजात शिशुओं को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क देय है–

सामान्य एवं जटिल प्रसव, डायग्नॉसिस (रक्त, यूरीन जाँच एवं अल्ट्रासोनोग्राफी आदि), ठहरने के दौरान भोजन, आवश्यकतानुसार रक्त का प्रावधान, रेफरल केसों में घर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तक एवं वापस घर तक छोड़ने तक यातायात सुविधा एवं उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) की छूट ।

'जय प्रभा जननी–शिशु आरोग्य एक्सप्रेस'' सेवा की विशेषतायें:

1. यह सेवा 24x7 घण्टे उपलब्ध है तथा एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क टेलिफोन नम्बर '102' पर डायल किया जा सकता है।
2. इन एम्बुलेन्सों को सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तथा उन स्वास्थ्य संस्थानों पर केंद्रित किया गया है जहां प्रसव सेवा उपलब्ध है।
3. **इस योजना के अर्न्तगत निम्नांकित लाभाथियों को निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जायेगीः–**

क) सभी गर्भवती महिलाओं के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव (सामान्य अथवा सिजेरियन) हेतु
- i) आवास से स्वास्थ्य संस्थान
- ii) प्रसवपूर्ण एवं प्रसवोपरानत जटिलताओं हेतु (42 दिनों तक)
- तथा iii) प्रसवोपरान्त घर वापसी

ख) जन्म से एक वर्ष तक के सभी बीमार शिशु हेतु
- i) घर से स्वास्थ्य संस्थान
- ii) जटिलता की स्थिति में एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान तक
- तथा iii) इलाजोपरान्त घर वापसी

ग) गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले (लाल अथवा पीला कार्डधारी परिवार)
घ) वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से ऊपर) के इलाज़ हेतु
ड़) सड़क दुर्घटना (प्रथम परिवहन)
तथा च) कालाजार मरीजों के आवागमन हेतु

'शव वाहन सेवा की विशेषतायें:

1. यह सेवा अन्य टॉल फ्री संख्या द्वारा परिचालित की जायेगी।
2. यह वाहन शव को ढोने का कार्य करेगा।
3. **इस योजना के अर्न्तगत निम्नांकित लाभाथियों को निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जायेगीः–**

क) गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले (लाल अथवा पीला कार्डधारी परिवार)
ख) सड़क दुर्घटना (प्रथम परिवहन)
तथा ग) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षकों के आदेशानुसार विशेष परिस्थिति में।

13/7/13

ईकाई राशि (रु० में) :

प्रति BLS एम्बुलेन्स द्वारा तय किये गए किलोमीटर के आधार पर भुगतान हेतु रु० 110000.00 प्रति माह प्रति एम्बुलेन्स तथा प्रत्येक शव वाहन हेतु रुपये 60000.00 प्रति माह प्रति शव वाहन की दर से आवंटन किया जा रहा है। शव वाहन का भुगतान आवंटन तथा शव वाहन द्वारा प्रति माह निःशुल्क श्रेणी के बाहर के रोगियों के गमागमन से प्राप्त राशि को रोगी कल्याण समिति के माध्यम से निकासी कर किलोमीटर के आधार पर किया जाना है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें।

(क) पत्रांक 3216 दिनांक 13.04.2012 **(ख)**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० मदन प्रसाद शर्मा
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर : 9470003023

13/7/13